[2021] 1 एस. सी. आर. 668

मेसर्स कालामणि टेक्स और अन्य

विरुद्ध

पी. बालासुब्रमणियन

(2021 की आपराधिक अपील संख्या 123)

10 फरवरी, 2021

[एन. वी. रमना, सूर्या कांत और अनिरुद्ध बोस, न्यायाधीशगण]

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881: एसएस। 118 और 139-परक्राम्य उपकरणों के बारे में धारणा-पक्ष में धारणा

धारक का-आयोजित: एक बार जब चेक/परक्राम्य लिखत पर किसी अभियुक्त के हस्ताक्षर स्थापित हो जाते हैं, तो 'रिवर्स ऑनस' खंड लागू हो जाते हैं-ऐसी स्थिति में, अभियुक्त पर उस पर लगाए गए अनुमान का निर्वहन करने का दायित्व स्थानांतरित हो जाता है -

अनुमानों ने यू/एस. एस. को उठाया। 118 , 139 एक संभावित बचाव को उठाने की आवश्यकता है, जो "संभावना की प्रधानता" के मानक को पूरा करना चाहिए, न कि केवल संभावना-तथ्यों पर, निचली अदालत ने प्रावधानों की अनदेखी की और यू/एस. एस. द्वारा तैयार किए गए वैधानिक अनुमान की सराहना करने में विफल रही। 118 और 139, और शिकायत यू/एस को खारिज कर दिया। 138 एन. आई. अधिनियम-एक बार जब अपीलार्थी-अभियुक्त ने चेक और विलेख पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार कर लिए, तो निचली अदालत को यह मान लेना चाहिए था कि चेक कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण के लिए जारी किया गया था-निचली अदालत ने यह कहते हुए गलती की

शिकायतकर्ता उन परिस्थितियों को समझाने के लिए जिनके तहत

अपीलार्थी भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे-क्योंकि यह स्वीकार किया जाता है कि पक्षों के बीच व्यावसायिक संबंध रहे हैं, अपीलार्थी द्वारा उठाया गया बचाव 'संभावना की प्रधानता' के मानक को पूरा नहीं करता है-इस प्रकार, उच्च न्यायालय को अपीलार्थी के बचाव को खारिज करने और एस. एस. के संदर्भ में उन पर लगाए गए दायित्व को बनाए रखने का अधिकार है। 118 और 139-उच्च न्यायालय ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निचली अदालत के निष्कर्षों को दरकिनार करने में न्यायसंगत ठहराया। 378 सीआरपीसी।

क्षतिपूर्ति: चेक के अपमान से संबंधित मामलों में दावा-तथ्यों पर, प्रतिवादी ने न तो उच्च न्यायालय के समक्ष मुआवजे की मांग की और न ही उसने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी।

फैसला-आयोजित: चूंकि प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय के फैसले को स्वीकार कर लिया है, इसलिए मुआवजे के लिए उसका दावा निहित है।

सजा/सजाः सजा में कमी/संशोधन-यू/एस के तहत अपराध करना। 138 एन. आई. अधिनियम की-उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील में, अपीलकर्ताओं-अभियुक्तों ने इस न्यायालय की रजिस्ट्री में चेक राशि जमा की-अपील को खारिज करने के मद्देनजर, अपीलकर्ता संख्या 2 उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए साधारण कारावास की सजा से गुजरने के लिए उत्तरदायी है-हालाँकि, चूंकि अपीलकर्ता संख्या 2 ने स्वेच्छा से इस न्यायालय की रजिस्ट्री में चेक राशि जमा की, इसलिए एक उदार दृष्टिकोण लिया जाता है-अपीलकर्ता संख्या 2 को दिए गए दंड से गुजरने की आवश्यकता नहीं है-परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

अभिनिर्धारित : 1.1 निचली अदालत ने प्रावधानों की पूरी तरह से अनदेखी की और परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 118 और धारा 139 के तहत तैयार किए गए वैधानिक अनुमान की सराहना करने में विफल रही। कानून यह आदेश देता है कि एक बार

चेक/परक्राम्य लिखत पर अभियुक्त के हस्ताक्षर स्थापित किए जाते हैं, फिर ये 'रिवर्स ऑनस' खंड बन जाते हैं ऑपरेटिव। ऐसी स्थिति में अभियुक्त पर आरोपित पर लगाए गए अनुमान का निर्वहन करने का दायित्व आ जाता है। [पैरा 14] [676-बी-डी]

रोहितभाई जीवनलाल पटेल बनाम। गुजरात राज्य (2019) 18 एस. सी. सी. 106-संदर्भित

1.2 एक बार जब दूसरे अपीलार्थी ने चेक और विलेख पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार कर लिए थे, तो निचली अदालत को यह मान लेना चाहिए था कि चेक कानूनी रूप से भुगतान के लिए विचार के रूप में जारी किया गया था। लागू करने योग्य ऋण। निचली अदालत गलती से गिर गई जब उसने शिकायतकर्ता-प्रतिवादी को उन परिस्थितियों के बारे में समझाने के लिए कहा जिनके तहत अपीलकर्ता भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। निचली अदालत का ऐसा दृष्टिकोण सीधे तौर पर स्थापित कानूनी स्थिति के खिलाफ था।

और कानून की एक पेटेंट त्रुटि के बराबर है। [पैरा 15] [676-एफ-एच]

1.3 धारा 118 और धारा के तहत उठाए गए अनुमान

139 प्रकृति में खंडन योग्य हैं। एक संभावित बचाव को बढ़ाने की आवश्यकता है, जो "संभावना की प्रधानता" के मानक को पूरा करना चाहिए, न कि केवल संभावना। विचार के पारित होने से इनकार करने से अभियुक्त के मामले में मदद नहीं मिलेगी।

1.4 अपीलकर्ताओं ने किसी भी वसूली योग्य ऋण के अस्तित्व पर विवाद करने के लिए डी. डब्ल्यू. 1 के साक्षय पर भरोसा किया है। हालाँकि, उनका बयान केवल इस बात पर प्रकाश डालता है कि प्रतिवादी के पास एक ओवर था

बैंक के साथ विस्तारित ऋण सुविधा और अपने खाते को अद्यतन करने में उनकी विफलता के कारण ऋण वसूली की कार्यवाही शुरू हुई। इस तरह के साक्षय अपीलार्थियों के दायित्व को गलत साबित नहीं करते हैं और प्रतिवादी की शिकायत के गुण-दोष पर थोड़ा असर डालते हैं। इसी तरह, अपीलकर्ताओं का विलेख की वास्तविकता के बारे में केवल गंजा इनकार

अपीलार्थी सं. 2 के हस्ताक्षर स्वीकार करने के बावजूद, दिनांक 1 का उपक्रम, उक्त दस्तावेज़ की वास्तविकता पर कोई संदेह नहीं करता है। [पैरा 17] [677-सी-डी]

1.5 भले ही अपीलार्थियों द्वारा उठाए गए तर्कों को अंकित मूल्य पर लिया जाए कि केवल एक खाली चेक और हस्ताक्षरित खाली टिकट।

प्रतिवादी को कागजात दिए गए थे, फिर भी वैधानिक धारणा को मिटाया नहीं जा सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पक्षों के बीच एक स्वीकृत व्यावसायिक संबंध रहा है, अपीलकर्ताओं द्वारा उठाया गया बचाव विश्वास को प्रेरित नहीं करता है या 'संभावना की प्रधानता' के मानक को पूरा नहीं करता है। किसी अन्य प्रासंगिक सामग्री के अभाव में, ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों के बचाव को खारिज करने और एन. आई. ए. की धारा 118 और धारा 139 के संदर्भ में उन पर लगाए गए दायित्व को बरकरार रखने में कोई गलती नहीं की। [पैरा 18-19] [677-D-H]

बासलिंगप्पा बनाम। मुदिबासप्प (2019) 5 एस. सी. सी. 418: [2019] 6 एस. सी. आर. 555; कुमार एक्सपोर्ट्स बनाम शर्मा कार्पेट्स (2009) 2 एससीसी 513: [2008] 17 एससीआर 572; एमएस नारायण मेनन बनाम। केरल राज्य (2006) 6 एससीसी 39: [2006] 3 पूरक। एस. सी. आर. 124; बीर सिंह बनाम। मुकेश कुमार (2019) 4

एस. सी. सी. 197 [2019] 2 एस. सी. आर. 24-संदर्भित

1.6 एन. आई. ए. के अध्याय XVII का उद्देश्य न केवल दंडात्मक है, बल्कि क्षतिपूर्ति और प्रतिस्थापन भी है। एन. आई. ए. के प्रावधानों में चेक के अनादर के लिए आपराधिक दायित्व के साथ-साथ चेक राशि की प्राप्ति के लिए नागरिक दायित्व के लिए एकल खिड़की की कल्पना की गई है। यह भी अच्छी तरह से तय किया गया है कि मुआवजा देने के लिए एक सुसंगत दृष्टिकोण की आवश्यकता है और जब तक कि विशेष परिस्थितियां मौजूद नहीं हैं, अदालतों को समान रूप से एम/एस दर पर साधारण ब्याज के साथ चेक राशि के दोगुने तक का जुर्माना लगाना चाहिए।

9 प्रतिशत प्रति वर्ष। फिर भी, प्रत्यर्थी उपरोक्त उद्धृत सिद्धांतों का लाभ नहीं उठा सकता है ताकि मांग की जा सके

क्षतिपूर्ति। अभिलेख इंगित करता है कि न तो प्रत्यर्थी उच्च न्यायालय के समक्ष मुआवजे की मांग करता है और न ही उसने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने का विकल्प चुना है। चूंकि, उन्होंने उच्च न्यायालय के फैसले को स्वीकार कर लिया है, इसलिए मुआवजे के उनके दावे को स्पष्ट रूप से पलट दिया गया है। प्रतिवादी, किसी भी मामले में, है

रुपये की चेक राशि प्राप्त करने का हकदार। 11.20 लाख जो अपीलार्थी पहले ही इस न्यायालय की रजिस्ट्री में जमा कर चुका है। उच्च न्यायालय द्वारा सजा के अधिनिर्णय के संबंध में, दिया गया मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों, अर्थात्, कि अपीलकर्ताओं ने स्वेच्छा से और उसके बाद वर्ष 2018 में इस न्यायालय की रजिस्ट्री में चेक राशि जमा की है, एक उदार दृष्टिकोण लिया जाता है। उच्च न्यायालय का विवादित फैसला है -

संशोधित किया गया है और यह निर्देश दिया गया है कि अपीलार्थी संख्या 2 को दी गई सजा से गुजरने की आवश्यकता नहीं होगी। [पैरा 20-22] [678-A-F]

राम जग बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (1974) 4 एससीसी 201: [1974] 3

एस. सी. आर. 9; रोहतास बनाम हरियाणा राज्य (2019) 10 एससीसी 554;

ऑनलाइन एससी 869; मुरुगेसन बनाम। निरीक्षक के माध्यम से राज्य पुलिस (2012) 10 एस. सी. सी. 383: [2012] 13 एससीआर 1; रीना

हजारिका बनाम। असम राज्य (2019) 13 एससीसी 289: [2018]

13 एस. सी. आर. 1108; सी. के. दासेगौड़ा और अन्य बनाम। की स्थिति

कर्नाटक (2014) 13 एससीसी 119: [2014] 8 एस. सी. आर. 295; राज्य

यू. पी. वी. बन्ने (2009) 4 एस. सी. सी. 271; घुरेलाल बनाम। राज्य उत्तर प्रदेश (2008) 10 एस. सी. सी. 450: [2008] 11 एससीआर 499; आर.

विजियन वी। बेबी (2012) 1 एससीसी 260: [2011] 14 एससीआर 712

संदर्भित किया गया है

-—

मामला कानून संदर्भ

[2012] 13 एससीआर 1 पैरा 9 संदर्भित किया गया है

[2018] 13 एससीआर 1108 पैरा 9 संदर्भित किया गया है

[2019] 6 एससीआर 555 पैरा 9 संदर्भित किया गया है

[2008] 17 एससीआर 572 संदर्भित किया गया है पैरा 9

[2014] 8 एससीआर 295 संदर्भित किया गया है पैरा 12

(2009) 4 एस. सी. सी. 271 पैरा 12

[2021] 1 एस. सी. आर.

[2008] 11 एससीआर 499 संदर्भित किया गया है पैरा 12

[1974] 3 एस. सी. आर 9 संदर्भित किया गया है पैरा 13

(2019) 10 एस. सी. सी. 554 संदर्भित किया गया है पैरा 13

(2019) 18 एस. सी. सी. 106 संदर्भित किया गया है पैरा 14

[2006] 3 पूरक। एससीआर 124 संदर्भित किया गया है पैरा 16

[2019] 2 एससीआर 24 संदर्भित किया गया है पैरा 18

[2011] 14 एससीआर 712 संदर्भित किया गया है पैरा 20

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील 2021 का No.123।

उच्च न्यायालय के 09.11.2017 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2002 के Crl.A.No.447 में मद्रास में न्यायिक कार्य।

एस. नागमुथु, वरिष्ठ अधिवक्ता। , एम. पी. पार्थिबन, ए. एस. वैरावन, मणि

प्रभु, संतोष, आर. सुधाकरन, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था सूर्या कान्ट, जे।

1. अनुमति दी गई ।

2. एम/एस। कलामनी टेक्स (अपीलार्थी संख्या 1) और इसके प्रबंध भागीदार

बी. सुब्रमण्यन (अपीलकर्ता संख्या 2) मद्रास में उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 1 के फैसले को चुनौती देने वाली अपील में हैं, जिसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट, तिरुपुर को बरी करने के आदेश को उलट दिया गया था और अपीलकर्ताओं को परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (संक्षेप में, 'एन. आई. ए.') की धारा 138 के तहत दोषी ठहराया गया है। नतीजतन, अपीलार्थी संख्या 2 को तीन महीने की सजा सुनाई गई है।

कारावास और एक लाख रुपये का जुर्माना। 5,000 / - .

तथ्य

3. तत्काल कार्यवाही एक शिकायत से उत्पन्न हुई है।

पी. बालासुब्रमण्यम (शिकायतकर्ता-प्रतिवादी) ने अपीलकर्ताओं के खिलाफ याचिका दायर की। प्रत्यर्थी 'ग्रोवेल इंटरनेशनल' नामक एक परिधान कंपनी का मालिक है, जो अपीलकर्ता संख्या 1 के साथ एक व्यावसायिक व्यवस्था में लगी हुई थी, जिसके तहत वे संयुक्त रूप से फ्रांस को वस्त्र निर्यात करने के लिए सहमत हुए थे। मेसर्स में देरी के संबंध में कुछ मुद्दे सामने आए।

खरीदार से शिपमेंट और भुगतान, जिसके कारण, अपीलकर्ताओं को प्रतिवादी को 11.20 लाख रुपये की राशि का भुगतान करना पड़ा। उस उद्देश्य के लिए, अपीलकर्ता संख्या 2 ने अपीलकर्ता संख्या 1 की ओर से एक चेक जारी किया। 897993 दिनांक 1 प्रत्यर्थी के पक्ष में और उसी दिन एक उपक्रम विलेख भी निष्पादित किया जिसमें अपीलार्थी संख्या 2 ने व्यक्तिगत रूप से प्रत्यर्थी द्वारा किए गए प्रारंभिक व्यय के बदले में प्रत्यर्थी को भुगतान करने का बीड़ा उठाया। प्रत्यर्थी ने उक्त चेक को संग्रह के लिए बैंक को 29.12.2000 पर प्रस्तुत किया, लेकिन यह इस पुष्टि के साथ वापस कर दिया गया कि अपीलार्थियों के खाते में अपर्याप्त धन था। चेक का अनादर किए जाने के बाद, प्रत्यर्थी ने 08.01.2001 दिनांकित एक नोटिस जारी किया जिसमें अपीलकर्ताओं को 15 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया था। अपीलकर्ताओं ने अपने दिनांक आई. डी. 1 के जवाब में अपने दायित्व से इनकार किया और दावा किया कि कुछ ऋण वसूली कार्यवाही में प्रतिवादी की मदद करने के लिए खाली चेक और हस्ताक्षरित खाली स्टाम्प पेपर जारी किए गए थे, न कि किसी कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण के कारण।

4. इसके बाद प्रतिवादी ने एन. आई. ए. की धारा 138 और 142 के साथ आपराधिक संहिता की धारा 200 के तहत एक निजी शिकायत दर्ज कराई।

न्यायिक मजिस्ट्रेट, तिरुपुर के समक्ष प्रक्रिया, 1973 (संक्षेप में 'सीआरपीसी')। अपने दावे को साबित करने के लिए, प्रतिवादी ने स्वयं प्रवेश किया गवाह बॉक्स और चेक जैसे दस्तावेजी साक्षय प्रस्तुत किए गए

अपीलार्थी सं. 2 द्वारा जारी किया गया। प्रत्यर्थी ने अपनी मुख्य परीक्षा में शुरू में तर्क दिया कि विषय राशि अपीलार्थियों द्वारा विदेशी खरीदार से प्राप्त की गई थी। हालाँकि, जब बाद की तारीख में वापस बुलाया गया, तो प्रत्यर्थी ने दिनांकित उपक्रम विलेख प्रस्तुत किया, जिसके तहत, दूसरे अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी के प्रति दायित्व को स्वीकार किया था। एक पीएस षण्मुघम (पीडब्लू-2), जो भारतीय स्टेट बैंक, तिरुपुर विदेशी शाखा में प्रबंधक के रूप में काम कर रहे थे, से भी प्रतिवादी द्वारा पूछताछ की गई।

5. अपीलार्थी सं. 2 ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपने बयान में आरोपों का स्पष्ट रूप से खंडन किया और इसके प्रति किसी भी दायित्व के अस्तित्व पर विवाद किया।

उत्तरदाता। अपीलकर्ताओं ने वी. राजगोपाल (डी. डब्ल्यू.-1) से भी पूछताछ की, जो संबंधित समय में राज्य में सहायक प्रबंधक के रूप में काम कर रहे थे।

बैंक ऑफ इंडिया, तिरुपुर विदेशी शाखा। डी. डब्ल्यू.-1 मुख्य रूप से प्रत्यर्थी द्वारा उसे दिए गए ऋण का भुगतान करने में असमर्थता और उसके खिलाफ शुरू की गई बाद की ऋण वसूली कार्यवाही पर अपदस्थ किया गया। अपीलार्थियों ने अपने बचाव में कोई दस्तावेजी साक्षय नहीं दिया।

6. ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी के दावे पर विश्वास नहीं किया और कहा कि वह [2021] 1 एस. सी. आर. की तारीख को कानूनी रूप से लागू करने योग्य दायित्व स्थापित करने में विफल रहा था।

चेक जारी करना। अदालत ने कहा कि चूंकि एन. आई. ए. की धारा 138 के तहत अपराध के मूल तत्व संतुष्ट नहीं थे, इसलिए शिकायत बर्खास्त किए जाने योग्य था।

7. निचली अदालत के आदेश से असंतुष्ट, प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक आपराधिक अपील को प्राथमिकता दी, जिसमें, न्यायालय

यह उल्लेख किया कि अपीलकर्ता संख्या 2 ने चेक और उपक्रम विलेख दोनों पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए थे और इस प्रकार अपीलकर्ताओं के दायित्व को स्वीकार किया था। इसलिए उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले के माध्यम से आपराधिक अपील को स्वीकार कर लिया और दोनों अपीलार्थियों को एन. आई. ए. की धारा 138 के तहत दोषी ठहराया। अपीलार्थी नं. 2 को तीन महीने के साधारण कारावास की सजा और 5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। 5,000 / - (या उसके बदले में 20 दिनों का साधारण कारावास)। इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी संख्या 1 को जुर्माना देने का निर्देश दिया गया था।

से रु. 5,000 / - , जिसकी चूक में, अपीलार्थी संख्या 2 को एक और एक महीने के साधारण कारावास से गुजरना होगा।

8. व्यथित अपीलार्थी अब इस न्यायालय के समक्ष हैं। शुरुआत में यह उल्लेख किया जा सकता है कि एसएलपी कब सुनवाई के लिए आई

12.03.2018 , उनके विद्वान वकील ने विवाद में पूरी राशि जमा करने पर सहमति व्यक्त की और इसके संबंध में, अपीलकर्ताओं ने 11.04.2018 पर रुपये की राशि जमा की है। 11.20 इस न्यायालय की रजिस्ट्री के साथ लाखों।

सामग्री

9. हालाँकि, अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील ने गुण-दोष के आधार पर मामले में बहस करने की इच्छा व्यक्त की और तर्क दिया कि कानूनी रूप से ऐसा नहीं था।

चेक जारी करने की तारीख को प्रवर्तनीय दायित्व और अपीलार्थी संख्या 2 द्वारा हस्ताक्षरित खाली स्टाम्प पेपरों का प्रतिवादी द्वारा दुरुपयोग किया गया था।

अपीलार्थियों द्वारा उठाया गया जो उनके लिए गंभीर पूर्वाग्रह का कारण बना है। उन्होंने बसलिंगप्पा बनाम में निर्धारित सिद्धांतों को उत्साहपूर्वक प्रस्तुत किया। मुडीबासप 3 और कुमार एक्सपोर्ट्स बनाम। शर्मा कार्पेट्स, और प्रस्तुत किया कि धारा 118 के तहत एक आरोपी के खिलाफ तैयार किया गया अनुमान और

एन. आई. ए. की धारा 139 "संभावना की प्रधानता" के मानक के माध्यम से खंडन योग्य है, जिसे वर्तमान मामले में अपीलकर्ताओं द्वारा सफलतापूर्वक पूरा किया गया है।

10. दूसरी ओर, प्रतिवादी के लिए विद्वान वकील ने कहा कि उच्च न्यायालय का निर्णय अच्छी तरह से तर्कपूर्ण है और मामले के सभी प्रासंगिक कारकों पर उचित विचार करने पर आधारित है। चेक और दिनांक 07.11.2000 के उपक्रम विलेख पर निर्विवाद हस्ताक्षर पर जोर देते हुए, उन्होंने जोर देकर कहा कि अपीलकर्ताओं ने 500 करोड़ रुपये की अपनी मौजूदा देनदारी स्वीकार कर ली है। 11.20 लाख। अंत में, प्रत्यर्थी को हुए वित्तीय नुकसान और उसके व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव की ओर इशारा करते हुए, विद्वान वकील ने उपयुक्त मुआवजे के लिए प्रार्थना की।

विश्लेषण

11. संक्षिप्त प्रश्न जो हमारे विचार के लिए आता है वह यह है कि क्या

उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निचली अदालत के निष्कर्षों को उलटने में गलती की?

12. प्रतिद्वंद्वी को अपना विचारशील विचार देने के बाद

प्रस्तुतियाँ, हमें हस्तक्षेप करने के लिए कोई वैध आधार नहीं मिलता है

विवादित निर्णय। यह सच है कि उच्च न्यायालय केवल निचली अदालत से अलग राय बनाने पर बरी करने के आदेश को उलट नहीं देगा। कानून की दृष्टि से यह भी तुच्छ है कि उच्च न्यायालय के पास बरी करने के आदेश के साथ छेड़छाड़ करने के लिए ठोस कारण होने चाहिए और ऐसा कोई कारण नहीं होना चाहिए

हस्तक्षेप की आवश्यकता तब होगी जब दो संभावित निष्कर्ष होने चाहिए। 5 फिर भी, इस न्यायालय के कई निर्णय हैं, जो धारा 378 सी. आर. पी. सी. के तहत उच्च न्यायालय द्वारा शक्तियों के आह्वान को उचित ठहराते हैं, यदि निचली अदालत ने, अन्य बातों के साथ-साथ, कानून की पेटेंट त्रुटि या न्याय का गंभीर गर्भपात किया था या वह तथ्य के विकृत निष्कर्ष पर पहुंची थी।

13. समान सादृश्य पर, अनुच्छेद के तहत इस न्यायालय की शक्तियाँ

136 संविधान के पुनर्विलोकन में भी शामिल नहीं है

सम्पूर्ण अभिलेख मात्र एहि आधार पर अछि जे उच्च न्यायालय अपन अपीलीय अधिकार क्षेत्रक प्रयोग करैत पहिल बेर अपीलार्थीकेँ दोषी ठहरौलनि अछि। राम जग बनाम में यह न्यायालय। उत्तर प्रदेश राज्य ', रोहतास बनाम। हरियाणा राज्य और

रवीन कुमार बनाम। हिमाचल प्रदेश राज्य ने अपना स्वयं का विकास किया

5 सी. के. दासेगौड़ा और अन्य बनाम। कर्नाटक राज्य, (2014) 13 एस. सी. सी. 119 14. 6 उत्तर प्रदेश राज्य बनाम। बन्ने, (2009) 4 एस. सी. सी. 271,27; घुरेलाल बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, (2008) 10 एस. सी. सी. 450,170।

छोड़ दें, सामान्य रूप से रिकॉर्ड पर साक्षय की फिर से सराहना करने का प्रयास नहीं किया जाएगा जब तक कि चुनौती के तहत निर्णय (ओं) को नहीं दिखाया जाता है कानून या प्रक्रिया की एक स्पष्ट त्रुटि या निष्कर्ष पर पहुंचना प्रत्यक्ष रूप से विकृत है।

14. हाथ में मामले को ध्यान में रखते हुए, हम अपने फैसले के एक स्पष्ट अध्ययन पर पाते हैं कि निचली अदालत ने प्रावधानों की पूरी तरह से अनदेखी की और

कानून की धारा 118 और धारा 139 के तहत तैयार की गई वैधानिक धारणा की सराहना करने में विफल रहा, यह आदेश देता है कि एक बार चेक/परक्राम्य लिखत पर किसी आरोपी के हस्ताक्षर स्थापित हो जाने के बाद, ये 'रिवर्स ऑनस' खंड प्रभावी हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में अभियुक्त पर आरोपित पर लगाए गए अनुमान का निर्वहन करने का दायित्व आ जाता है। कानून के इस बिंदु को इस न्यायालय द्वारा रोहितभाई जीवनलाल पटेल बनाम में स्पष्ट किया गया है। गुजरात राज्य "निम्नलिखित शब्दों में:

" वर्तमान मामले में, एन. आई. अधिनियम की धारा 139 के तहत कथित रूप से अनुमान लगाने के बाद भी, निचली अदालत ने आगे बढ़ने के लिए धन के स्रोत के संबंध में शिकायतकर्ता की ओर से सबूत की कमी पर सवाल उठाया। अभियुक्त को ऋण और संबंधित की जांच की इच्छा गवाह जिन्होंने कथित तौर पर उसे आरोपी को आगे बढ़ाने के लिए पैसे दिए। निचली अदालत का यह दृष्टिकोण कानून में अनुमान के सिद्धांतों से भिन्न था। इस तरह की धारणा के बाद, जिम्मेदारी अभियुक्त पर स्थानांतरित हो गई और जब तक कि अभियुक्त ने इस तरह के रिकॉर्ड को लाकर जिम्मेदारी का निर्वहन किया था के महत्व को दर्शाने के लिए तथ्य और परिस्थितियाँ

उसके पक्ष में झुकने की संभावना, उस पर कोई संदेह ऋण अग्रिम के लिए धन के स्रोत के बारे में सबूत के अभाव में शिकायतकर्ता का मामला नहीं उठाया जा सकता था। अपीलार्थी-अभियुक्त को।

15. एक बार जब दूसरे अपीलार्थी ने चेक और विलेख पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार कर लिए थे, तो निचली अदालत को यह मान लेना चाहिए था कि चेक कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण के लिए विचार के रूप में जारी किया गया था। विचारण न्यायालय त्रुटि में पड़ गया जब उसने शिकायतकर्ता-प्रतिवादी को उन परिस्थितियों की व्याख्या करने के लिए कहा जिनके तहत अपीलकर्ता भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। विचारण न्यायालय का ऐसा दृष्टिकोण सीधे तौर पर स्थापित कानूनी स्थिति के नियंत्रण में था जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, और कानून की पेटेंट त्रुटि के बराबर है।

16. इसमें कोई संदेह नहीं है, और जैसा कि अपीलार्थियों के वरिष्ठ वकील ने सही तर्क दिया है, धारा 118 और धारा 139 के तहत लगाए गए अनुमान

18. भले ही हम अपीलकर्ताओं द्वारा उठाए गए तर्कों को अंकित मूल्य पर लेते हैं कि प्रतिवादी को केवल एक खाली चेक और हस्ताक्षरित खाली स्टाम्प पेपर दिए गए थे, फिर भी वैधानिक अनुमान नहीं हो

सकता है मिटा दिया। बीर सिंह बनाम का हवाला देना उपयोगी है। मुकेश कुमार ", जहाँ इस अदालत ने फैसला सुनाया किः

" यहां तक कि अभियुक्त द्वारा स्वेच्छा से हस्ताक्षरित और सौंपा गया एक खाली चेक पत्र, जो कुछ भुगतान के लिए है, परक्राम्य की धारा 139 के तहत अनुमान को आकर्षित करेगा।

लिखत अधिनियम, किसी भी ठोस साक्षय के अभाव में यह दर्शाता है कि ऋण चुकाने के लिए चेक जारी नहीं किया गया था।

19. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पक्षों के बीच एक स्वीकृत व्यावसायिक संबंध रहा है, हमारी राय है कि बचाव पक्ष

अपीलार्थियों द्वारा उठाए गए निर्णय विश्वास को प्रेरित नहीं करते हैं या 'संभावना की प्रधानता' के मानक को पूरा नहीं करते हैं। किसी अन्य प्रासंगिक सामग्री के अभाव में, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों के बचाव को खारिज करने और एन. आई. ए. की धारा 118 और धारा 139 के संदर्भ में उन पर लगाए गए दायित्व को बरकरार रखने में कोई गलती नहीं की।

20. जहां तक प्रत्यर्थी की ओर से उठाए गए मुआवजे के दावे का संबंध है, हम इन तय किए गए सिद्धांतों से अवगत हैं कि एन. आई. ए. के अध्याय XVII का उद्देश्य न केवल दंडात्मक है, बल्कि क्षतिपूर्ति और प्रतिस्थापन भी है। एन. आई. ए. के प्रावधानों में चेक के अनादर के लिए आपराधिक दायित्व के साथ-साथ चेक राशि की प्राप्ति के लिए नागरिक दायित्व के लिए एकल खिड़की की कल्पना की गई है। यह भी अच्छी तरह से तय किया गया है कि मुआवजा देने के लिए एक सुसंगत दृष्टिकोण की आवश्यकता है और जब तक कि विशेष परिस्थितियां मौजूद नहीं हैं, अदालतों को समान रूप से 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज के साथ चेक राशि के दोगुने तक का जुर्माना लगाना चाहिए।

21. फिर भी, प्रतिवादी मुआवजे की मांग करने के लिए उपरोक्त उद्धृत सिद्धांतों का लाभ नहीं उठा सकता है। अभिलेख इंगित करता है कि न तो प्रत्यर्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष मुआवजे की मांग की और न ही उसने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने का विकल्प चुना है। चूंकि, उन्होंने उच्च न्यायालय के फैसले को स्वीकार कर लिया है, इसलिए मुआवजे के उनके दावे को स्पष्ट रूप से पलट दिया गया है। प्रत्यर्थी, किसी भी मामले में, रुपये की चेक राशि प्राप्त करने का हकदार है। 11.20 लाख जो अपीलार्थी पहले ही इस न्यायालय की रजिस्ट्री में जमा कर चुका है।

निष्कर्षः

22. ऊपर बताए गए कारणों से, वर्तमान अपील खारिज होने योग्य है। हम उसी के अनुसार आदेश देते हैं। आम तौर पर और एक आवश्यक अगली कड़ी के रूप में

स्वैच्छिक रूप से और उसके बाद वर्ष 2018 में इस न्यायालय की रजिस्ट्री में चेक राशि जमा की है, हम एक उदार दृष्टिकोण अपनाने के लिए इच्छुक हैं। उच्च न्यायालय का दिनांकित 09-11-2017 का

विवादित निर्णय है इस प्रकार संशोधित किया गया है और यह निर्देश दिया गया है कि अपीलार्थी संख्या 2 को दी गई सजा से गुजरने की आवश्यकता नहीं होगी। इस न्यायालय की रजिस्ट्री को रुपये की राशि हस्तांतरित करने का निर्देश दिया गया है। दो सप्ताह के भीतर प्रत्यर्थी को अर्जित ब्याज के साथ 11.20 लाख।

याचिका खारिज कर दी गई।

निधि जैन

1 (2012) 10 एससीसी 383,32।

3 (2019) 5 एससीसी 418।

4 (2009) 2 एससीसी 513।

7 (1974) 4 एस. सी. सी. 201,14.

8 (2019) 10 एस. सी. सी. 554,12।

9 2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 869,14.

10 (2019) 18 एससीसी 106,18।

11 (2006) 6 एससीसी 39,132। 12 (2019) 4 एस. सी. सी. 197, ¶36।

13 आर. विजियन बनाम बेबी, (2012) 1 एससीसी 260 20।